न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—259/2016/223 (2016/00259)

रामगोपाल पुत्र राधाकिशन (मृतक) जरिये वारिसानः—

1. रमेशचन्द पुत्र रामगोपाल,
2. तुलसीराम पुत्र रामगोपाल,
   जाति तेली, निवासी तैली मौहल्ला, रूपनगढ़, तह0 रूपनगढ़, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. रामकिशोर मुतब्बना (दत्तक) पुत्र सुवा, जाति कुम्हार, निवासी रूपनगढ़, तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर ।

वादी/**रेस्पोडेंट**

2. बालूराम पुत्र सेवाराम,
3. भंवरलाल पुत्र सेवाराम,
4. लक्ष्मण पुत्र सेवाराम,
5. रामचरण पुत्र सेवाराम,
6. मंगलाराम पुत्र सेवाराम,
7. श्रवण पुत्र सेवाराम,
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम मोरडी, तह0 रूपनगढ़, जिला अजमेर।
8. पोखर पुत्र हनुमान,
9. भागचंद पुत्र हनुमान,
   दोनों जाति भांभी, नि0 ग्राम रूपनगढ, तह0 रूपनगढ़, जिला अजमेर ।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ़, जिला अजमेर ।

प्रतिवादीगण/रेस्पो0

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़, कैम्प सुरसुरा, दिनांक 21.6.2016 अंतर्गत वाद संख्या 266/2014 (22/2012).

उपस्थितः—

1. श्री शोकिन्दलाल गुर्जर, वकील अपीलांटस।
2. श्री योगेन्द्रसिंह शक्तावत, वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 8.
3. रेस्पो0 संख्या 2 से 7 अनुपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 10.

निर्णय

दिनांकः— 14.6.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 21.6.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष विरूद्ध प्रतिवादीगण/अपीलांटस एवं शेष रेस्पो0

के साथ राज्य सरकार जरिये तहसीलदार को पक्षकार बनाते हुए वाद अंतर्गत धारा 88 व 189 राज0काश्त0अधि0 सपठित धारा 136, 111, 128 राज0भू–राजस्व अधि0 के तहत इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 128 खसरा संख्या 1/1 रकबा 13–16–00, खसरा संख्या 1/2 रकबा 3–00–00 वाके ग्राम मौजा मोरडी, तहसील किशनगढ़ में स्थित है । वादी की आराजी के पश्चिम दिशा में ग्राम की सीमा स्थित है तथा वादी की आराजी के पूर्व दिशा में प्रतिवादी/अपीलांट की खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 7 व प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 7 की आराजी खसरा संख्या 5/1 तथा उत्तर दिशा में प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 8 व 9 की कृषि आराजी खसरा संख्या 2/1, 2/2 स्थित है । वादी ने अपने वादपत्र के पैरा संख्या 3 में यह भी निवेदन किया कि वादी की आराजी खसरा संख्या 1/1 व 1/2 की दक्षिण पूर्व की सीमा खसरा संख्या 7 के खातेार के चालू नक्शा में बद नहीं किया गया है, जो राजस्व हाल नक्शा संवत् 2027 में गलत लाईन खुली छोड़ने के कारण आये दिन विवाद चला आ रहा है जो राजस्व नक्शा 2020 एवं 1999 नक्शे के अनुसार वादग्रस्त आराजी की राजस्व नक्शे में इंद्राज दुरूस्ती एवं शून्य नक्शा घोषित किये जाने की दादरसी चाही । प्रकरण के विचाराधीन रहते राज्य सरकार द्वारा रूपनगढ़ को उपखण्ड घोषित करने पर प्रकरण को दिनांक 9.5. 2014 को नवगठित न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ को स्थानातंरित किया । उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ ने अपने निर्णय दिनांक 21.6.2016 द्वारा तहसीलदार, रूपनगढ़ को नक्शे में तरमीम कर दोनों पक्षों की उपस्थिति में पत्थ्झरगढ़ी के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण दस्तावेजात का अवलोकन किये बिना ही एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत, नजीरों का अवलोकन किये बिना निर्णय पारित किया है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 के वाद अंतर्गत धारा 88 व 89 राज0काश्त0अधि0 एवं धारा 136, 11 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधि0 के तहत प्रस्तुत किया गया था जिसमें वादी का वाद एवं अनुतोष एवं विधिक प्रकिया सभी की मंशा पृथक–पृथक होने से वाद काबिल संधारण योग्य नहीं था इस बाबत् प्रतिवादी द्वारा जवाब मय आपत्तियां प्रस्तुत की जो जिससे प्रकरण आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत निरस्त योग्य था । अधी0न्याया0 ने वादी/रेस्पो0 संख्या 1 के अनुतोष एवं अभिकथनों के विपरीत अपीलांटस के हक व अधिकारों के विपरीत जाकर व दस्तावेज के विपरीत आदेश पारित किया है जो निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है क्योंकि प्रकरण प्रस्तुत होने से पूर्व प्रकरण में लिप्त आराजी खसरा संख्या 7 को अपीलांट ने हस्तातंरण कर दिया है जो राजस्व अभिलेख में खातेदार रमेशचंद, तुलसीराम पुत्र रामगोपाल के नाम दर्ज हो चुकी है इसलिये आदेश त्रुटिपूर्ण है । बह समें आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने प्रकरण को तनकीवार निर्णित नहीं किया है जिससे अधी0न्याया0 का निर्णय विधिक प्रकिया के विपरीत होने से निरस्तनीय है जबकि अधी0न्याया0 ने वाद में 6 तनकियात कायम की थी तथा प्रकरण वादी की साक्ष्य जिरह में नियत था । प्रकरण अपूर्ण होने के बावजूद अधी0न्याया0 ने प्रकरण को निर्णित करने में विधिक त्रुटि

कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे ।

5. जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 8 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने वाद अंतर्गत धारा 88, 89 राज0काश्त0अधि0 एवं 136, 111 व 128 भूराजस्व अधि0 के तहत पेश किया था । उक्त वाद में अधी0न्याया0 ने वादपत्र एवं जवाबदावा के आधार पर 6 तनकियात कायम की है किन्तु अपीलाधीन निर्णय तनकीवार पारित नहीं किया है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष पत्रावली साक्ष्य वादी जिरह में विचाराधीन होकर पत्रावली अपूर्ण थी । इसी प्रकार अधी0न्याया0 ने दस्तावेजात भी प्रदर्शित नहीं किये है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, साक्ष्य का अवलोकन किये बिना तथा आदेश 20 नियम 2 जा0दी0 के प्रावधानों के विपरीत बिना तनकियात कायम अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । इसके साथ ही न्यायालय पक्षकारों के अभिवचनों एवं चाहे गए अनुतोश के अनुसार निम्नानुसार तनकी संख्या 7 कायम की जाकर की की जावे । अतिरिकत तनकी संख्या 7:— आया वाद में चाहा गया नक्शा दुरूस्ती का अनुतोष राज0काश्त0अधि0 के तहत दिया जा सकता है अथवा नहीं ?

7. उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

8. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.6.2016 निरस्त की जाती है तथा पत्रावली अधी0न्याया0 को निर्णय में दिये गये विवेचन के क्रम में प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को तनकीवार निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 14.6.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर